

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ एवं एकल व नियोजन विभाग
मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर 6, नौएडा, जि. गौतमबुद्ध नगर


पत्र सं० नौएडा/मु०वा०नि०/2018/25

दिनांक 6/7/18

कार्यालय आदेश


मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा सैक्टर - 128,129,131,133 व 134 में निष्पादित उप पट्टा प्रलेख के क्रम में नगरीय योजना में एकल आवासीय भूखण्डों के उप पट्टा धारकों द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन के उपरान्त स्थल पर भवन का निर्माण भवन विनियमावली के अनुसार पूर्ण करते हुए अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु लम्बित आवेदनों को भवन प्रकोष्ठ विभाग में अन्य आवासीय श्रेणी के भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु अपनाई जाने वाली प्रचलित व्यवस्था की भाँति स्वतः स्वीकृति (Deemed Sanction) मानते हुए बिना अतिरिक्त देय शुल्क के अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु तथा भविष्य में मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा सैक्टर - 128,129,131,133 व 134 की योजना में एकल आवासीय भूखण्डों के शेष प्रकरणों में स्वतः स्वीकृति (Deemed Sanction) की प्रक्रिया को अपनाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत जारी किये जा रहे हैं।


(ए०के श्रीवस्तव)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. सभी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
2. लेखा अधिकारी (भवन प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।


अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा